नक्सलवाद पर मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री का भाषण

13 अप्रैल, 2006
नई दिल्ली

आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर आप लोगों के साथ बातचीत करते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। यहां आने का मेरा पहला उद्देश्य नक्सलवाद की चुनौती का सामना करने के लिए आपके द्वारा अपनाई जा रही रणनीति और इस मामले पर आप लोगों के विचार जानना है। यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि नक्सलवाद की समस्या हमारे देश के लिए आंतरिक सुरक्षा की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है। मैंने बहुत ध्यान से आप लोगों के विचार सुने और इस समस्या से बुरी तरह से प्रभावित कुछ राज्यों के मुख्य मंत्रियों से अलग से बातचीत भी की है। यहां व्यापक स्तर पर विचार व्यक्त किए गए किंतु इस बात पर मतैक्य है कि इस समस्या के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस समस्या से निपटने के लिए राज्य स्तर पर क्या किया जाना चाहिए, विभिन्न राज्यों द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बीच समन्वय के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए और राज्य सरकारों के हाथ मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को क्या करना चाहिए-इस संबंध में व्यक्त किए गए विचारों में व्यापक समानता है और मुझे इस बात की भी अत्यंत खुशी है। आप लोगों ने मेरे सहकर्मी माननीय गृहमंत्री के विचार भी सुने। उन्होंने वादा किया है कि इस संकट से निपटने के लिए जो कुछ भी करना आवश्यक होगा- वे करेंगे। जब देश की आंतरिक सुरक्षा पर आए संकट से निपटने की बात हो तो हम इस मामले में अपने हाथ पीछे नहीं खींच सकते।

चारू मजुमदार ने कभी भारत में व्यापक क्रांति लाने की बात कही थी। आज लगभग 40 साल बाद नक्सली आंदोलन ने अपना बौद्धिक आकर्षण खो दिया है, किंतु यह आंदोलन अब सशक्त होकर उभरा है और देश के 160 से भी अधिक जिलों में अपने पैर फैला चुका है। इस आंदोलन का वैचारिक आधार समाप्त हो चुका है और अब इस आंदोलन में अनेक विजातीय तत्व शामिल हो गए हैं। किंतु ऐसा लगता है कि समाज के कुछ वंचित और बाहरी लोग इस आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इसलिए हमें इस के कारणों पर गौर करना होगा। हमें विकास की अनिवार्यता और राष्ट्रीय सुरक्षा की अनिवार्यता के बीच सामंजस्य स्थापित करने के लिए व्यावहारिक और विश्वसनीय कार्य नीति तैयार करनी होगी। नक्सली आंदोलन हिंसा और शस्त्रों के उपयोग के माध्यम से इन तबकों के बीच सशक्तीकरण की विचारधारा फैला रहे हैं। वे समाज के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में 'मुक्त क्षेत्र' स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं जहां वे प्रशासन, पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से संबंधित मूलभूत सरकारी कार्य कर रहे हैं अथवा करने का दावा कर रहे हैं यह अत्यधिक चिंता का विषय है कि इनमें से कुछ क्षेत्रों में सिविल प्रशासन और

पुलिस नियत समय पर अनुपस्थित रहती है।

इस आंदोलन की प्रकृति में हुए गुणात्मक परिवर्तन भी उल्लेखनीय है अब नए-नए तरीके और दांव-पेंच अपनाए जा रहे हैं जहां वे पहले स्थानीय शस्त्रों के उपयोग तक ही सीमित थे, छोटे समूह में काम करने थे और इक्का-दुक्का आक्रमण करते थे अब नक्सल आंदोलन का व्यापक सैन्यकरण हो रहा है, अब यह उत्कृष्ट सैन्य शैली युक्त संगठन है, इनके पास बेहतर रूप से प्रशिक्षित संगठन हैं, अब बड़े ठिकानों पर आक्रमण करने है, उनके बीच बेहतर समन्वय है और बाहर ताकतों के साथ भी इनका संपर्क होने की संभावना है। नक्सल आंदोलन की प्रकृति में आए इस बदलाव को पहचानने की आवश्यकता है और हमारी ओर से उठाए जाने वाले सभी कदम इसी वास्तविकता पर आधारित होने चाहिए। इसलिए यह गौरत-लब बात है कि इस बैठक में शामिल अधिकांश लोगों ने इस पहलू को समझा है और इस समस्या से प्रभावी रूप से निपटने की इच्छा व्यक्त की है।

आपकी प्रतिक्रिया का एक पहलू पुलिस कार्रवाई हो सकता है। चर्चा के दौरान अनेक उपायों पर विचार किया गया है जिन्हें अमल में लाना आवश्यक है। मेरे विचार में इनमें से कुछ उपाय ऐसे हैं जिन पर तत्काल और निरंतर रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

सबसे पहले हमें सभी मोर्चों पर स्थानीय पुलिस को सुदृढ़ बनाना होगा। नक्सली हिंसा के खिलाफ लड़ाई में इनकी भूमिका अग्रणी होती हैं। स्थानीय पुलिस को बेहतर प्रशिक्षण देने और बेहतर शस्त्रों से सज्जित करने की आवश्यकता है ताकि वे प्रमुख ताकत के रूप में उभर रहे दुश्मन का सामना कर सकें। हमें पुलिस के शस्त्रों, भवनों और वाहनों में सुधार करने की आवश्यकता है। उनकी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमें व्यापक रूप से निवेश करने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस में श्रमशक्ति की कमी और रिक्तियों को न भरे जाने की स्थायी समस्या है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप नक्सली क्षेत्रों में स्थित सभी थानों में पूर्ण रूप से पुलिस कर्मियों की तैनाती सुनिश्चित करें और उन्हें सुरक्षित बनाएं। आपको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि थानों में योग्य, सक्षम और अनुप्रेरित अधिकारियों और स्टाफ की तैनाती की जाए। नक्सल विरोधी ऑपरेशन के लिए श्रेष्ठ पुलिस कार्मिकों को आकर्षित करने के लिए हमें आवश्यकतानुसार प्रोत्साहन पैकेज की व्यवस्था करनी चाहिए। हमें उन उपायों पर भी विचार करना चाहिए ताकि नक्सलियों के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों में पुलिस कार्मिकों को अनावश्यक परेशानियों से बचाया जा सके। राज्यों को जहाँ आवश्यक प्रतीत हो वहां प्रभावी अर्ध-पुलिस कर्मियों की तैनाती के लिए निवेश करने पर भी विचार करना

चाहिए।

दूसरा यह कि, इस कार्य को करने के लिए हमें राज्य स्तर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड के पैटर्न पर हमें एक विशेष बल की आवश्यकता है, यदि हमें परिस्थिति को सरकार के पक्ष में करना है तो इस प्रयोजन के लिए निवेश करना अनिवार्य है। इन विशेष कार्य बलों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित कार्य-काल वाले योग्य वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपना चाहिए। राज्य अपनी आवश्यकतानुसार अन्य राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर योग्य अधिकारियों की सेवा लेने पर विचार कर सकते हैं। समय-समय पर इस मामले को मॉनीटर करने के लिए मुख्यमंत्री अपने स्तर पर मॉनीटर ग्रुप बना सकते हैं।

तीसरा यह कि पुलिस कार्रवाई के लिए प्रभाव पूर्ण ढंग से आसूचना एकत्र करने की व्यवस्था होनी चाहिए। नक्सली आंदोलन अर्थात उनकी संख्या, उनके शस्त्र, उनके संगठन, उनकी गतिविधियों तथा उनकी योजनाओं के बारे में अपने आसूचना तंत्र में सुधार करने के लिए हमें कार्य करना होगा। मैं सभी मुख्य मंत्रियों से इस कार्य के लिए वित्तीय संसाधन मुहैया कराने का अनुरोध करता हूँ।

अंतिम मुद्दा है राज्यों के बीच समन्वय का मामला जिस पर विचार करना अत्मन्तावश्यक हैं राज्यों के बीच समन्वय के अनेक क्षेत्र हैं आसूचना एकत्र करना, सूचना का आदान-प्रदान, पुलिस कार्रवाई। राज्य बुरी तरह से प्रभावित कोर (महत्वूपर्ण) क्षेत्रों में संयुक्त रूप से कार्रवाई करने और संयुक्त एकीकृत कमान की स्थापना पर भी विचार कर सकते हैं। पुलिस कार्रवाई के अंतर्गत उदारतावादी आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति को शामिल करना भी आवश्यक है। अधिकांश राज्यों में ऐसी नीति विद्यमान है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इन नीतियों की समीक्षा करें और आवश्यकतानुसार इन्हें और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें संशोधन करें।

किन्तु हमें यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि नक्सलवाद केवल कानून और व्यवस्था का मामला नहीं है। अनेक क्षेत्रों में नक्सलवाद की घटनाएं सीधे तौर पर पिछड़ेपन से जुड़ी हुई हैं। यह केवल संयोग नहीं है कि आज केवल जनजातीय क्षेत्र ही वामपंथी उग्रवाद की मुख्य रणभूमि बने हुए है। जनजातीय क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा वामपंथी उग्रवादियों का कार्य-क्षेत्र बन गया है। शोषण, कृत्रिम रूप से सृजित की गई कम मजदूरी दर, साम्यहीन सामाजिक राजनैतिक परिस्थितियों रोजगार के अपर्याप्त अवसर, संसाधन तक पहुंच न होना, अविकसित कृषि, भौगोलिक दृष्टि से मुख्य भू भाग से अलग-थलग होना, भूमि सुधार की कभी इन सभी कारकों का नक्सली आंदोलन को

बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान है। नक्सलवाद की चुनौती का सामना करने के लिए कार्य-नीति तैयार करते समय इन सभी कारकों पर विचार करना होगा। मैं आप लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जब कभी हमारे समाज के गरीब तबकों के कल्याण से संबंधित इन महत्वपूर्ण विकास कार्यों के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की बात आएगी, भारत सरकार इन कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने में पीछे नहीं हटेगी।

ऐसी हिंसात्मक उग्रवादी गतिविधियों के कारण बृहत् सामाजिक कीमत चुकानी पड़ती है। विकास के लिए हमारे द्वारा किए जाने वाले निवेश बेअसर हो जाते हैं। रोजगार के अवसर न बढ़ते और शैक्षिक सुविधाएं भी प्रभावित होती हैं। स्कूल नहीं खुलते, औषधालय बंद रहते हैं और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित दर की दुकाने भी बंद रहती हैं। हम इन सभी नुकसानों के लिए " उग्रवाद" को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। उग्रवादियों द्वारा" लूट खसोट" करना आम बात हो गई है, जिससे न केवल लागतें ही बढ़ती हैं बल्कि भारतीय राष्ट्र की शासन व्यवस्था के लिए भी यह एक चुनौती है। हमें अवश्य यह समझना होगा कि ऐसा उग्रवाद हमारे लोकतंत्र, हमारे सामाजिक जीवन के लिए भी एक बड़ा खतरा है। जिससे अंततः हमारी सामाजिक व्यवस्था, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को नुकसान उठाना पड़ता है।

इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्रियों से 'सुशासन' पर ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूँ माननीय गृहमंत्री ने प्रबंधन और नियंत्रण के इस पहलू पर भी बल दिया है। इसमें विकास कार्यक्रमों का प्रभावी कार्यान्वयन, समय-समय पर इन्हें मॉनीटर करना और यह भी सुनिश्चित करना शामिल है कि उक्त कार्यान्वयन में कोई त्रुटि नहीं रहने पाए। हाल ही में हम विविध कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहे हैं जिससे ग्रामीण निर्धनता और बेरोजगारी को दूर करने में मदद मिलेगी। हमारे पास 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' और 'पिछड़े क्षेत्र हेतु अनुदान निधि' है। इन कार्यक्रमों से यह पता चलता है कि हमारे पास निधि की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि वे प्रभावी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रत्येक गरीब परिवार को लाभ पहुंचाने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। इसी के साथ ही सभी मुख्य मंत्री ग्रामीण गरीब जनजातियों पर से ऋण के बोझ को कम करने पर भी विचार कर सकते हैं। वे लघु वन अपराध के मामलों का प्रशमन और उन्हें बंद कर जनजातियों के अनावश्यक उत्पीड़न को कम कर सकते हैं। वे जनजातीय क्षेत्रों में उत्पादों के लिए प्रभावी मूल्य निर्धारित कर सकते हैं और उन उत्पादों के खरीदने में सहायता कर सकते हैं। वे ग्रामीण सुधारों के दूसरे दौर की शुरूआत कर सकते हैं जिससे इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों को रोजगार के अवसर और जमीन मिल सके। वे शासन व्यवस्था में स्थानीय लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दे सकते हैं जैसे कि मेरे सहकर्मी श्री मणिशंकर ने कहा है कि

पंचायती राज के प्रभावी कार्यान्वयन से स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के स्वप्न को पूरा किया जा सकता है।

इसलिए हमें " एक साथ दो लक्ष्यों " पर कार्य करने की कार्य-नीति अपनानी होगी अर्थात् प्रभावी पुलिस कार्रवाई के साथ-साथ अभाव में रहने तथा स्थानांतरण की भावना को कम करने पर भी ध्यान देना होगा। पुलिस कार्रवाई इसलिए आवश्यक है ताकि लोक-व्यवस्था बनाए रखने की भारतीय राष्ट्र की प्रतिबद्धता पूरी हो सके। किन्तु प्रभावी पुलिस कार्रवाई का यह मतलब नहीं है कि हम भारतीय शासन व्यवस्था को नृशंस बनाए। भले ही न्यायसंगत आवश्यकताएं और मांगे अनुचित तरीके से उठाई जाती हों अथवा अनुपयुक्त शब्दों में व्यक्त की गई हो - इनकी जांच पर्याप्त सावधानी और सहानुभूति के साथ की जानी चाहिए। क्योंकि वे भी हमारे अपने ही लोग हैं, भले ही वे हिंसा की राह पर भटक गए हैं। हमें ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण, प्रभावी पुलिस कार्रवाई की जरूरत है जिस पर शांति और विवेक के साथ अमल किया जाता हो। आज हमने अनेक विचार सुने माननीय गृहमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे आज की बैठक में दिए गए सुझावों की जांच करें ताकि हम इनमें से कुछ विचारों को अकल में ला सकें। हालांकि आप लोग नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई के मोर्चे पर हैं, मैं आप लोगों को केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता देने का आश्वासन देता हूँ।

लगभग 50 वर्ष पहले जब मैं इंग्लैड में पढ़ रहा था, मेरे एक शिक्षक लार्ड काल्डोर कहा करते थे कि किसी देश की प्रगति विशेष रूप से उन लोगों पर निर्भर करती है जिनके आदर्शों और प्रेरणा से ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय प्रभावित होते हैं जिनसे देश का भाग्य निर्धारित होता है। आप लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जो हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करने वाले इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में आवश्यक नेतृत्व प्रदान कर सकते हैं। यदि आप इस मामले को प्राथमिकता देते हैं तो मुझे विश्वास है कि हम नक्सली आंदोलन के प्रसार को रोक पाएंगे, और धीरे-धीरे इसे समाज से दूर कर पाएंगे और इसका उन्मूलन कर जाएंगे। इसलिए मैं आप मुख्य मंत्रियों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग एक जुट होकर और युद्ध स्तर पर कार्य करें और नक्सलवाद की चुनौती, विकास और सुरक्षा की चुनौती पर सर्वाधिक ध्यान दें।

******